22/01/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि मूल-
वाद का निस्तारण हो चुका है।
अतः मूल वाद के निस्तारण हो
जाने से इस प्रार्थना-पत्र का कोई
औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए
प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।